राष्ट्रीय खनिज नीति 2019

NATIONAL MINERAL POLICY 2019

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

राष्ट्रीय खनिज नीति-2019

विषय-सूची		
1	**विजन**	1
2	**खनिजों का विनियमन**	1-2
3	**खनिज विकास में राज्य की भूमिका**	2
4	**पूर्वेक्षण एवं गवेषण**	3
5	**खनिज संसाधन एवं टेनेमेंट का डाटा बेस**	4
6	**खनन एवं खनिज विकास**	4
6.1	सामान्य कार्यनीति	4-5
6.2	संरक्षण तथा खनिज विकास	5
6.3	खनन की वैज्ञानिक पद्धतियां	5-6
6.4	खनन मशीनरी तथा खनिज सज्जीकरण उपकरण	6
6.5	मानव संसाधन विकास	6
6.6	अवसंरचना विकास	6-7
6.7	खनन के लिए वित्तीय सहायता	7
6.8	लघु निक्षेप	7-8
6.9	समुद्र तटीय बालू खनिज	8
6.10	पर्यावरण की सुरक्षा	8-9
6.11	खनन क्षेत्र में सतत विकास	9
6.12	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का कल्याण	9
6.12(क)	विस्थापित एवं प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास	9
6.12(ख)	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों तक खनन लाभों का हस्तांतरण	10
6.12(ग)	जनजातीय समुदाय का कल्याण	10
6.13	खान समापन	10-11
6.14	खान एवं खान कर्मचारियों की सुरक्षा	11
6.15	खनिज सुरक्षा	11
7	**विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश**	11-12
8	**वित्तीय पहलू**	12
9	**अनुसंधान और विकास**	13
9.1	सामान्य दृष्टिकोण	13
9.2	खनन पद्धतियों में अनुसंधान	13
9.3	खनिज प्रसंस्करण और सज्जीकरण	13
9.4	ऑटोमेटिड उपस्करों का विकास	13-14
9.5	गहरे समुद्र में खनन	14
9.6	अधिक शुद्धतावाली सामग्रियों का उत्पादन	14
9.7	अनुसंधान संगठनों का समन्वय	14
10	**इंटर-जेनरेशनल इक्विटी**	15
11	**सतत विकास के लिए अंतर-मंत्रालयी तंत्र**	15
12	**निष्कर्ष एवं उपसंहार**	15-16

भारत सरकार

खान मंत्रालय

राष्ट्रीय खनिज नीति-2019

(गैर-ईंधन और गैर-कोयला खनिजों के लिए)

1. विजन

खनिज, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों हेतु महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री के रूप में मुख्य प्राकृतिक स्रोत हैं। खनिजों के गवेषण, उत्खनन एवं प्रबंधन को राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं दृष्टिकोणों द्वारा निदेशित होना चाहिए ताकि इन्हें देश के आर्थिक विकास एवं मेक इन इंडिया पहल की समग्र कार्यनीति में एकीकृत किया जाना चाहिए । यह प्रयास किया जाएगा कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले, आयात पर निर्भरता कम हो तथा इसे मेक इन इंडिया एनेसेटिव से जोडा जा सके।

खनिजों सहित, प्राकृतिक संसाधन एक साझी विरासत हैं जहां नागरिकों की ओर से राज्य एक संरक्षक है तथा इसलिए यह अनिवार्य है कि आम हितों की प्राप्ति हेतु खनिज संपदा के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए खनिज संसाधनों का आवंटन निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। स्टेकधारकों की भागीदारिता, खनन प्रभावित व्यक्तियों को लाभों के अंतरण के साथ सभी स्टेकधारकों के बीच विश्वास के उच्च स्तर को बनाए रखने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, खनन, पर्यावरणीय सतत तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए नियामक वातावरण सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया सहित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अनुकूल है। चूंकि खनन का राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय योगदान होता है, अत: अवैध खनन तथा वैल्यू लीकेज की रोकथाम हेतु ई-गर्वनेंस प्रणाली के समावेश सहित एक प्रभावी विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। खनन, रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाता है, अत: खनन क्षेत्र में सभी स्तरों में जैंडर संवेदनशीलता पर मुख्य ध्यान देने की आवश्यकता है। इस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, खनिज विकास तथा सामंजस्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त प्राधिकरण की स्थापना हेतु प्रयास किए जाएंगे।

2. खनिजों का विनियमन

2.1 भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टी 54 एवं राज्य (सूची-II) की प्रविष्टी 23 के संदर्भ में खनिज संसाधनों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व केंद्र एवं राज्य सरकारों, दोनों का है।

2.2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विनियामक वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए खनिज रियायतों के अनुदान की प्रक्रिया पारदर्शी एवं निर्बाध होगी साथ ही रियायतों के अंतरणीयता के साथ-साथ कार्यकाल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी जो कि खनिज क्षेत्र विकास में मुख्य भूमिका निभाते है।

2.3 खनन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) तथा राज्य खनन एवं भूविज्ञान निदेशालयों को पर्याप्त जनशक्ति, उपस्कर एवं अत्याधुनिक स्तर पर उन्नत कुशल तकनीक से सुदृढ़ किया जाएगा।

2.4 सेटेलाइट तथा सूदूर संवेदन अनुप्रयोग सहित ई-गर्वनेंस को शामिल करते हुए विनियामक तंत्र की सुदृढता पर विशेष बल दिया जाएगा। आईटी सक्षम प्रणाली के उपयोग से आपूर्ति श्रृंखला में खनिज/अयस्क का आरंभ से अंत तक संगणना हेतु प्रावधान किए जाएंगे। जागरूकता एवं सूचना कैंपेन हेतु उपयुक्त तंत्र तैयार करके तथा अवैध खनन की रोकथाम के लिए कानून प्रवर्तन क्षमताओं की अनुपूर्ति हेतु स्थानीय जनता की भागीदारी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

3. खनिज विकास में राज्य की भूमिका

3.1 खनन में राज्यों की मुख्य भूमिका गवेषण एवं खनन कार्यकलापों की सुविधा उपलब्ध कराना एवं विनियमन करना, अवसंरचना तथा कर संग्रहण के विकास हेतु प्रावधान बनाना होगा। संबंधित राज्यों द्वारा एक वार्षिक बिजनेस योजना/रोड़ मैप या रूपरेखा खनन क्षेत्र के विकास हेतु तैयार किया जाएगा। राज्य एजेंसियों हेतु क्षेत्र संरक्षण के समय जब तक सुरक्षा संबंधी विचार अथवा विशिष्ट जनहित शामिल ना हो, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता रखी जाएगी। खनन प्रचालन आरंभ करने की स्वीकृतियों के अनुदान को सरल एवं समयबद्ध प्रक्रिया द्वारा दुरस्त किया जाएगा जिसकी सुविधा कार्यक्रम की देरी में उच्चतम स्तर पर ट्रिगर के सृजन हेतु प्रावधान सहित एक ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी । ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक भाग के रूप में, राज्य पूर्व निश्चित वैधानिक मंजूरियों सहित खनिज ब्लॉकों की नीलामी का प्रयास करेगा। राज्यों द्वारा भूमि रिकॉर्ड में खनिज वाले क्षेत्र/जोन को खनन भूमि के रूप में चिन्हित किया जाएगा । ऐसे क्षेत्रों, जो आरक्षित किए गए थे परंतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उपयोग में नही लाए गए, के शीघ्र विकास के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जाएगा।

3.2 खनन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश की दक्षता हेतु विश्वास एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य, खुलेपन, निष्पक्षता, बेहतर विनियमन, उत्तरदायित्वता, समावेशित नीति तैयार करने के माध्यम से सरकार, खनिज, स्थानीय समुदायों तथा अन्य स्टेकधारकों के बीच विश्वास का स्तर बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे।

4. पूर्वेक्षण एवं गवेषण

4.1 देश, अनेक खनिजों के पर्याप्त संसाधनों से संपन्न है और अन्य अनेक की विद्यमानता के लिए यहां अनुकूल भूवैज्ञानिक वातावरण है। देश की समग्र भूवैज्ञानिक क्षमता का पता लगाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के समग्र भूवैज्ञानिक रूप से अनुकूल खनिज वाले क्षेत्रों में 2डी/3डी भूकंप व्याख्या प्रणाली सहित अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग द्वारा समयबद्ध तरीके से क्षेत्रीय एवं विस्तृत गवेषण, व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं गहन रूप से किया गया है।

4.2 यद्यपि सरकारी एजेंसियां, सर्वेक्षण तथा गवेषण हेतु उन्हें सौंपा गया कार्य सतत रूप से करती रहेंगी वहीं निजी क्षेत्र को भी गवेषण कार्यकलाप आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों मुख्यत: उन क्षेत्रों में लोक निधि का उपयोग करेंगी जहां अधिक अनिश्चितता जैसे कारकों के फलस्वरूप निजी क्षेत्र से निवेश नहीं हो रहा है। राज्यों को गवेषण कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए खनिकों पर अतिरिक्त भार डाले बिना निर्धारित वित्तपोषण व्यवस्था बनाने का अधिदेश दिया जा सकता है।

4.3 व्यापक संसाधनों हेतु भूवैज्ञानिक क्षमता होने के बावजूद भी देश के जिन खनिजो में अल्प संसाधन-सह-भंडारण बेस है उन खनिजों के पूर्वेक्षण एवं गवेषण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज, उर्वरक खनिज, बहुमूल्य धातु एवं स्टोन, महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्य गहरे छिपे खनिजों के गवेषण पर विशेष बल दिया जाएगा जिनकी प्राप्ति अन्य किसी और रूप में मुश्किल है तथा जिनके लिए देश मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है।

4.4 नीलाम तंत्र के अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीक के साथ-साथ निजी निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार राजस्व साझेदारी के आधार पर अथवा अन्य किसी प्रोत्साहन के आधार पर अप्रयुक्त क्षेत्रों में नीलामी के समय प्रथम अस्वीकार करने के अधिकार, अथवा संयुक्त आवीक्षण अनुज्ञा सह पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टे की नीलामी के जरिए गवेषण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.5 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषकर भूवैज्ञानिक रूप से जटिल निक्षेपों हेतु गवेषण की सुविधा के लिए स्वीकृतियों को सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं समबद्ध प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।

4.6 अपतटीय क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अधिकतम संभावित खोज की जाए और खनिज निकाला जाए। समयबद्ध ढांचे के अंतर्गत इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के बीच सहयोग आगे भी बनाए रखने के लिए संस्थागत रूप देना होगा।

5. खनिज संसाधन एवं टेनेमेंट का डाटा बेस

5.1 खनिज संसाधनों की राष्ट्रीय सूची व्यापक एवं अद्यतित गवेषण डाटा की समीक्षा पर आधारित होगी जिसे संसाधन सूची तथा एक टेनेमेंट रजिस्ट्री, दोनों को शामिल करते हुए डिजिटाइज रूप में रखा जाएगा। संसाधन सूची, वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य रिर्पोटिंग मानकों के अनुसार रखी जाएगी ताकि रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं वित्तीय संस्थानों और भंडार एवं शेष संसाधनों को दर्शाने वाले स्टॉक एक्सचेंज की स्वीकार्यता को भी सुनिश्चित किया जा सके, इसके साथ साथ प्रचालित पारंपरिक विधि से भी इसे रखा जाएगा। लोगों के अवलोकन के लिए,जीआईसी के साथ एकीकृत पंजीकरण एक वेब आधारित प्रणाली होगी, जिसमें मानचित्र आधारित सेवा के रूप में सूचना को स्थानिक रूप से दर्शाया जा सकता है।

5.2 सरकार द्वारा माइनिंग टेनेमेंट प्रणाली (एमटीएस) की स्थापना के लिए प्रयास किए जाएंगे जिसमें मुख्य रूप से अत्याधुनिक आईटी प्रणाली का उपयोग करके समग्र रियायत चक्र को स्वचालित करना शामिल है।

5.3 विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य सरकार ऐजेंसियों और साथ ही खनिज रियायतधारकों द्वारा सृजित बेसलाइन एवं खनिज गवेषण आंकड़े एकत्र किए जाएंगे और लोकहित में अनुरक्षित तथा प्रसारित किए जाएंगे। देश में खनिज गवेषण चुनौतियों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय शोध करने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शोध निकायों विश्वविद्यालयों, व्यवसायिक निकायों एवं उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

6. खनन एवं खनिज विकास

6.1 सामान्य कार्यनीति

अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए खनिज एक प्रमुख संसाधन हैं। तीव्र शहरीकरण तथा विनिर्माण क्षेत्र में प्रायोजित वृद्धि के मद्देनजर, खनिजों की अत्यधिक मांग है। मेक इन इंडिया पहल पर विशेष जोर देने के साथ, खनिजों की मांग तीव्र गति से बढ़ने की संभावना है। खनिजों का निष्कर्षण एवं प्रबंधन दीर्घकालिक राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं संभावनाओं द्वारा निदेशित होगा तथा इन्हें देश के आर्थिक विकास की समग्र कार्यनीति में एकीकृत करना होगा। खनन प्रौद्योगिकी का उन्नयन, समग्र रन-ऑफ-माइन (आरओएम) के निष्कर्षण एवं उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा ।

उन खनिज संसाधनों के निष्कर्षण पर विशेष बल दिया जाएगा जिसमें देश बहुत समृद्ध है ताकि ऐसे खनिजों के लिए बाहय बाजार की मांग को पूरा करते हुए, वर्तमान एवं भावी दोनों आवश्यकताओं के

मद्देनजर घरेलू उद्योग की जरूरतों को पूरा किया जा सके जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक खुशहाली में वृद्धि हो।

यद्यपि प्राथमिक खनिज, मांग की पूर्ति हेतु प्रमुख स्रोत बने रहेंगे तथापि, रिसाइक्लिंग के माध्यम से धातु की प्राप्ति हेतु विकास प्रक्रिया द्वारा आपूर्ति में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे । धातुओं की पुन: उपयोग योग्य प्रवृत्ति ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ जैसे अन्य लाभों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है।

यह ध्यान में रखते हुए कि मर्चेंट खनन पट्टों की एक बड़ी संख्या वर्ष 2020 में तथा कैप्टिव खानों की 2030 में समाप्त होने जा रही है, डाउनस्ट्रीम उद्योग को खनिज/अयस्कों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

खनन कंपनियों का विलय एवं अधिग्रहण तथा पारदर्शी रूप से प्रदत्त खनन पट्टों के अंतरण को मौजूदा कानून में सटीक प्रोत्साहन द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा।

6.2 संरक्षण तथा खनिज विकास

खनिजों का संरक्षण दूरस्थ भविष्य में उपयोग हेतु उपभोग अथवा संरक्षण से परहेज से प्रतिबंध के रूप में नहीं किया जाएगा अपितु यह कार्य भंडार/संसाधन बेस की वृद्धि की एक सकारात्मक अवधारणा के रूप में होगा। जीरो-वेस्ट खनन को एक विशिष्ट उद्देश्य के रूप में तथा उप-इष्टतम एवं अवैज्ञानिक खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्धता के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु एक पर्याप्त तथा प्रभावी विधायी और संस्थागत ढांचा होगा। खनिज का इष्टतम निष्कर्षण सुनिश्चित करने के लिए वृहत खनन बेल्ट में अवस्थित खनन रियायतधारकों के बीच सहयोगी खनन की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्पाद के मूल्य वर्धन तथा सामान्य कस्टमाइजेशन में राजकोषीय और/अथवा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों द्वारा वृद्धि की जाएगी।

6.3 खनन की वैज्ञानिक पद्धतियां

नियमों एवं विनियमनों द्वारा यथाशासित खान विकास तथा खनिज संरक्षण, ठोस वैज्ञानिक आधार पर, इष्टतम खनन योजना की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, आईबीएम तथा राज्य निदेशालयों जो कि आर एंड डी संगठनों तथा वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक निकायों के साथ गहन रूप से चर्चा करते है जैसी विनियामक एजेंसियों के माध्यम से होगा। भूवैज्ञानिक सीमाओं एवं अन्य खनन परिस्थितियों के संबंध में उनके क्षेत्र/साइज के विस्तार, आकार, निपटान के संबंध में खनन पट्टों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो खनिजों के क्रमबद्ध, वैज्ञानिक, इष्टतम एवं पूर्ण निष्कर्षण के लिए पट्टा क्षेत्रों के पूर्व निपटान के अनुकूल

हों। विनियामक एजेंसियों को पर्याप्त जनशक्ति, तकनीक, उपकरण एवं स्किल-सेट के संबंध में क्षमता निर्माण उपायों द्वारा सुविधाजनक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

6.4 खनन मशीनरी तथा खनिज सज्जीकरण उपकरण

उपकरणों एवं मशीनरी का उपयोग जिससे खनन प्रचालनों की क्षमता, उत्पादकता और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ खनन सज्जीकरण प्रक्रिया, खान/सज्जीकरण संयंत्र तथा आस-पास के क्षेत्रों में कार्यशील लोगों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा, को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे उपकरणों तथा मशीनों को सुलभ एवं स्वतंत्र रूप से उपलबध कराया जाएगा। इसके साथ ही खनन मशीनरी एवं खनिज सज्जीकरण उपकरण और मशीनरी जिससे आधुनिक तकनीक एवं भागीदारिता को बढ़ावा मिलेगा, के उत्पादन हेतु स्वदेशी उद्योग के लिए क्षमताओं का विकास किया जाएगा।

6.5 मानव संसाधन विकास

खनन उद्योग में जैंडर समानता को बेहतर बनाने को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन का विकास करना, राष्ट्रीय खनन उद्योग के विकास का केंद्र बिंदु है। इसमें मौजूदा तथा नई खनन इकाइयों के यंत्रीकरण, कंप्यूटीकरण, स्वचालन और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर बल दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मानव संसाधन विकास की कार्यनीति पुन: तैयार की जाएगी। समय-समय पर आधारभूत एवं विशेष कौशल की सुविधाओं की लगातार समीक्षा एवं उन्हें उन्नत किया जाएगा ताकि खनन और खनिज के विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जैसे-जैसे खनन क्षेत्र की प्रगति होगी, देश को ज्यादा से ज्यादा खनन अभियंता, पर्यावरण अभियंता, भू-वैज्ञानिक और सूचना-प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। खनन क्षेत्र के विनियमन को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बेहतर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।

6.6 अवसंरचना विकास

खनन अवसंरचना पर विशेष बल देने की आवश्यकता है क्योंकि खनिजों की गर्त के मुहाने से निष्कर्षण उसके प्रयोक्ता स्थान अथवा बन्दरगाह या रेलवे तक उसकी पहुंच उसकी आर्थिक कुशलता, एवं अंत्य उपयोग मूल्य से पूरी तरह जुड़ी हुई है। साथ ही यह खनिज के उत्पादन एवं प्रयोक्ता उद्योगों की क्षमता से जुड़ा है।

यद्यपि खनिज ब्लॉक के विकास के साथ-साथ एकीकृत रूप में स्थानीय निकासी नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जाएगा तथापि पृष्ठ प्रदेश के खनन क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन के लिए नियत खनिज गलियारे

की योजना बनाई जाएगी। नवप्रवर्तनकारी, पर्यावरण अनुकूल एवं दक्ष निकासी के माध्यमों जैसे सल्लरी पाइपलाइंस और क्लोज लूप कंवेयर के विकास एवं प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित किया जाएगा। खनन कंपनियों को अपने उपयोग हेतु पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना निर्माण का उत्तरदायित्व दिया जाएगा जिसमें उन्हें राज्य/केंद्र एजेंसियों के समन्वय से अपने कार्य हेतु पारंपरिक परिवहन नेटवर्क जैसे रेल और सड़क का विकास करना शामिल है। तटीय जल मार्गों एवं अंतरदेशिय शिपिंग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। खनन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष प्रोत्साहन अथवा रेलवे, बंदरगाह अथवा तटीय शिपिंग द्वारा प्राथमिक आवागमन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्षेत्रीय एवं विशेष रूप से परिधीय विकास में खनिज विकास का योगदान, जो कि बडी खनन परियोजनाओं में भारी निवेश के अनुरूप आवश्यक है, महत्वपूर्ण होता है, ऐसा एकीकृत दृष्टिकोण प्रोत्साहित किया जाएगा जिसमें खनिज विकास, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय जनता विशेषकर जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक एवं आर्थिक खुशहाली को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.7 खनन के लिए वित्तीय सहायता

खनन गतिविधियां वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहयोग प्राप्त करने की पात्र हैं। तथापि, वर्तमान में मात्र उन्हीं योजनाओं को वित्तीय सहयोग मिल रहा है जिनके पास पर्याप्त खनन मशीनरी, उपकरण और भवन हैं। पूर्वेक्षण, गवेषण एवं खान विकास के लिए वित्तीय सुविधाओं के लिए प्रयास किए जाएंगे। खनन को उद्योग का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

6.8 लघु निक्षेप

खनिजों के लघु एवं छिट पुट निक्षेप पूरे देश में फैले हुए हैं। ये प्राय: लघु स्तरीय खनन द्वारा आर्थिक रूप से निष्कर्षित किए जाते हैं। ये मामूली धन व्यय एवं कम समय में स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराते हैं। तथापि, आर्थिक विस्तार के अभाव में वे उप-इष्टतम खनन एवं पर्यावरणीय व्यवधान बढ़ा सकते हैं। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय अनिवार्यताओं की सुरक्षा करते हुए लघु खनिज निक्षेपों के लिए वैज्ञानिक एवं दक्ष तरीकों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे।

जहां लघु निक्षेप लाभप्रद खनन के योग्य नहीं हैं, वहां एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर सभी निक्षेपों को सामूहिक रूप से एक पट्टा मानते हुए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसी तरह, मूल्यवान धातुओं एवं आधार धातुओं के लघु निक्षेपों के लिए सामान्य प्रगालन एवं परिष्करण की सुविधाओं की स्थापना को प्रात्साहित किया जाएगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में लघु निक्षेपों के लिए रियायतें देने हेतु व्यवस्थित और दक्ष तरीकों से खनन प्रचालनों के लिए, अनुकूलन वातावरण के साथ अनुसूचित जनजातियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

6.9 समुद्र तटीय बालू खनिज

विभिन्न एजेंसियों जैसे राज्य सरकारों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, आण्विक ऊर्जा विभाग, आण्विक खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क विभाग इत्यादि के बीच समन्वय करके बेहतर आर्थिक विकास के लिए तटीय बालू खनिज के पुनर्भरणीय निक्षेपों के निष्कर्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि तटीय बालू खनिज के विनियमन में खनन तथा दूसरे संबंधित कानूनों का अनुपालन हो सके और वे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप हों।

6.10 पर्यावरण की सुरक्षा

खनिजों का निष्कर्षण दूसरे प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु एवं वन को प्रभावित करते हैं। यह जरूरी है कि खनन क्षेत्र की भूमि उपयोग के आदेश या चयन में समावेशी नजरिए को अपनाया जाए और साथ ही खनन किए जाने वाले क्षेत्र विकास की जरूरतों के साथ-साथ वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा की जाए तथा क्षेत्र की जैव-विविधता को संरक्षित किया जाए।

नवीनतम वैज्ञानिक मानकों और आधुनिक वनरोपण परम्पराओं के अनुरूप खनन के कारण प्रतिकूल पर्यावणीय प्रभावों की रोकथाम और इनकी कमी करना हर स्तर पर खान विकास कार्यनीति का अभिन्न अंग होगा। सभी खनन व्यापक सतत विकास ढ़ांचागत मानदंडों के अंदर किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि खान एवं खनिज विषयक सभी निर्णयों में पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं को कारगर रूप से एकीकृत किया गया है। मार्गदर्शक सिद्धांत यह होगा कि खनन करने वाला खनन क्षेत्र को उसकी पारिस्थितिकीय स्थिति में छोडेगा जैसी वह खनन से पूर्व थी अथवा उस क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतुओं पर कम से कम प्रभाव ड़ालकर पहले से बेहतर हो।

खनन कार्यकलापों को आमतौर पर उन क्षेत्रों में आरंभ नहीं किया जाएगा जो पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील तथा जैविक रूप से समृद्ध हों। सरकार को उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए जो पारिस्थितिकी के अनुसार अति संवेदनशील हों और उसे खनन हेतु 'उल्लंघन क्षेत्र' या 'नो-गो एरिया' घोषित करना चाहिए। खनिज आधारित विकास एवं पर्यावरण के बीच बेहतर सामंजस्य प्राप्त करने की दृष्टि से यह प्रयास किया जाएगा कि खनिजीकृत बेल्ट/जोन के लिए निर्धारित पूर्व-सैद्धांतिक एवं

सांविधिक मंजूरी के साथ अनन्य खनन जोन (ईएमजेड) का निर्माण किया जाए ताकि हितों के टकराव को रोकने तथा खनन प्रचालन के आरंभ में होने वाले विलंब को कम किया जा सके ।

प्रदूषण, कार्बन अवशेष एवं प्रचालन लागतों को कम करने के लिए खनन स्थलों पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग को उपयुक्त प्रोत्साहन द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। खनन प्रचालनों में शामिल सभी कामगारों को पर्यावरण विषयक उपयुक्त संवेदनकारी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6.11 खनन क्षेत्र में सतत विकास

खनन क्षेत्र में सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए जितनी जल्दी संभव हो, पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व को ध्यान में जरूर रखा जाना चाहिए ताकि खनन को वित्तीय रूप से लाभकारी, सामाजिक रूप से जिम्मेदार; पर्यावरणीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाया जा सके, ये दीर्घकालिक विकास को समृद्ध करेगा; खनिज संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करेगा एवं समापन के बाद भूमि के सतत उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

सरकार एक बेंचमार्क निर्धारित करेगी जिसके अनुसार सभी खनन परियोजनाओं का मूल्यांकन सतत विकास ढ़ांचे के अंतर्गत उनके तुलनात्मक निष्पादन के संबंध में किया जा सके और जो खनन कंपनियों पर यह वचनबद्धता डाले कि वे पर्यावरणीय एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास प्रणालियां अपनाएं ।

6.12 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का कल्याण

6.12 (क) विस्थापित एवं प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास

खनन परियोजनाओं में व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण शामिल हो सकता है जिनमें जनजातीय और कमजोर वर्ग के लोग भी शामिल हैं । ऐसे सभी विषयों में प्रभावित व्यक्तियों पर पडने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना जरूरी है ताकि उपयुक्त, समुचित, राहत एवं पुनर्वास पैकेज तैयार करना सुनिश्चित किया जा सके।

जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं तथा जनजातीय समुदाय एवं कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, वहां प्रभावित क्षेत्र के विकास प्रक्रिया में अंतर्निहित पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की समस्या की पहचान करना अनिवार्य है। ऐसा कार्यतंत्र तैयार किया जाएगा जो प्रभावित जनसंख्या के जीवन-स्तर को वास्तविक रूप से बेहतर करेगा तथा उनकी सतत आय को सुनिश्चित करेगा । इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर यथा संशोधित निष्पक्ष मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 का अनुपालन किया जाएगा।

6.12 (ख) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों तक खनन लाभों का हस्तांतरण

'जिला खनिज फाउंडेशन' ("**डीएमएफ**") स्थापित करने के लिए खनन कानून को संशोधित किया गया है, इसका उद्देश्य खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित क्षेत्र अथवा व्यक्ति के हित एवं लाभ के लिए काम करना है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के समावेशी एवं न्यायसंगत विकास के लिए डी एम एफ के तहत खनन लाभों के हस्तांतरण का उद्देश्य प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शन किया जाना है।

डीएमएफ के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का सरकार निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने का प्रयास करेगी, पीएमकेकेकेवाई को प्रभावी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा जो सर्व साधारण के लिए मुफ्त सुलभ होगा।

6.12 (ग) जनजातीय समुदाय का कल्याण

समृद्ध जैव विविधता वाले जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों की मौजूदगी का एक व्यापक मूल्यांकन करने की अपेक्षा है। खनन परियोजनाओं के कारण भूमि अधिग्रहण एवं जनजातीय समुदाय का विस्थापन अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय की परेशानियां बढ़ा सकता है।

अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज रियायतों का अनुदान, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अथवा अन्य कोई प्रासंगिक वैधानिक अधिनियम जो आदिवासियों के हितों की रक्षा करता है, संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधान के तहत निर्देशित होगा। सभी अधिनियम अथवा नियम जो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से संबंधित हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, अनुवर्ती संशोधन अथवा अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों को उत्तरवर्ती संशोधन के साथ दृढ़ता से लागू किया जाएगा।

6.13 खान समापन

एक बार जब खान भंडार पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब वहां वैज्ञानिक खान बंदी करने की आवश्यकता होती है जो न केवल पारिस्थितिकी को बहाल और जैव विवधता को फिर से सृजित करेगा बल्कि साथ ही ऐसी बंदी के समाजार्थिक पहलू को भी ध्यान में रखेगा। जहां खनन कार्यकलाप कुछ दशको से होते चले आ रहे हैं, वहां खनन समुदाय स्थापित हो गए हैं, वहां खान के समापन का मतलब

न केवल उनके रोजगार की समाप्ति है बल्कि उनके सामुदायिक जीवन में अवरोध भी है। खान बंदी एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से की जानी चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि खान बंदी, उत्पादन पश्चात खान बंदी एवं भूमि सुधार, खान विकास प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं, खान बंदी में लगी लागत के लिए वित्तीय प्रावधान उद्योग द्वारा प्राथमिकता के उच्च स्तर पर किए जाते है और दक्ष एवं प्रभावी खनन सुधार एवं पुनर्वास के लिए सतत दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

6.14 खान एवं खान कर्मचारियों की सुरक्षा

खान परियोजनाएं कभी-कभी प्राकृतिक रूप से संकटकारी होती है। दुर्घटना होती है और प्राय: व्यवसायिक स्वास्थ्य समस्याएं, गंभीर शारीरिक चोट यहां तक कि जीवन क्षति हो जाती है। ऐसे खनन विधियों को अपनाने एवं विकसित करने का प्रयास जरूरी है जो कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ावा दे ओर दुर्घटनाओं को कम करे। इस दिशा में खनन कर्मचारियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त किया जाएगा। कर्मचारियों एव आस-पास की जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर खनन के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करने के उपाय भी किए जाएंगे। डीजीएमएस को पर्याप्त जनशक्ति, उपकरणों और स्किल सेट द्वारा आगे भी सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि वे खनिकों के स्वास्थ्य एवं खान कर्मियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में नियामक भूमिका निभा सके सके।

6.15 खनिज सुरक्षा

खनिज संसाधन की सुरक्षा कार्यनीति के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं डाउनस्ट्रीम उद्योगों के संचालन के लिए खनिजों की पर्याप्त सुलभता विश्वसनीयता, किफायती एवं सतत आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। अत: राष्ट्र के लिए दीर्घावधि खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना उच्च प्राथमिकता होगी। ऐसे खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, उनके गवेषण और विकास तथा सार्वजनिक के साथ-साथ निजी भारतीय व्यापार कंपनियों द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को सुगम बनाने हेतु डाउनस्ट्रीम विनियमों को अनुकूल बनाया जाएगा।

7. विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश

सामान्य:

खनन क्षेत्र में विदेशी निवेशकों समुचित ढ़ांचे के द्वारा आकर्षित किया जाएगा । जहां तक संभव हो सके, मूल्यवर्धित रूप में खनिजों के निर्यात करने के प्रयास किए जाएंगे । स्वदेशी खनिज उद्योग को

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के अनुरूप बनाया जाएगा ताकि खनिजों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रौद्योगिकी एवं मांग परिवर्तनों का पूर्वानुमान करके विदेशी व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के अनुकूल बनाया जाएगा।

दीर्घावधि आयात-निर्यात नीति एवं एफडीआई :

खनिज विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। खनिज सूचियों की गतिशीलता के साथ-साथ देश की लघु, मध्य एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं में निर्यात-नीति को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी ओर जहां तक संभव हो खनिजों के आयात को, खनिज आधारित उद्योगों के देश में ही विकास के साथ समन्वित किया जाएगा । पूरक संसाधन आधार वाले अन्य देशों के साथ सहयोग के क्षेत्रों को आपसी लाभ के लिए विकसित किया जाएगा। बाजार शक्तियों द्वारा घरेलू प्रयोक्ताओं के लिए निर्धारित उचित मूल्य पर खनिज आधारित सामग्री उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण होगा ।

खनन को आधुनिक स्टैंड-अलोन उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। खनिज क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन निर्यात-आयात नीति स्थिरता प्रदान करेगी तथा बडे पैमाने पर वाणिज्यिक खनन गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में साबित होगी। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर मुख्यत: निवेश फैसलों के लिए खनिजों के निर्यात पर आश्वासन एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

8. वित्तीय पहलू

सरकार का प्रयास बजट के संदर्भ में वित्तीय उपायों की योजना बनाना होगा जो कराधान और रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने के लिए, लाभ सहित खनिज गवेषण एवं विकास तथा उत्पाद परिष्करण के अन्य स्वरूपों को बढ़ावा देने में सहायक हो। बदले हुए खनिज परिदृश्य में तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खनिज विकास और उत्पादों की अर्थनीति के संदर्भ में वित्तीय परिवर्तनों के सामान्य कर ढ़ाचे के अनुरूप एवं सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर जांच की जाएगी। विश्व में भारत को गवेषण एवं खनन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए खनन संबंधी अधिकार क्षेत्रों सहित रॉयल्टी और अन्य सभी लेवी एवं करों के लिए बेचमार्क बनाने एवं अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

9. अनुसंधान और विकास

9.1 सामान्य दृष्टिकोण

खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, गवेषण, खनन, सज्जीकरण, सामग्री के विकास के लिए खनिजों के संकेद्रण से लेकर संपूर्ण कार्यकलापों को शामिल करना होगा। मौजूदा खनिज संसाधनों को व्यवहार्य मित्तव्ययी संसाधनों में बदलने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे । स्वदेशी उद्योगों को खनिज संसाधनों के उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए जिससे भारत पूर्णत: संपन्न है, उचित प्रौद्योगिकीयां विकसित की जाएगी जिन खनिजों की परम्परागत मांग कम है, उन खनिजों के लिए नए एवं वैकल्पिक उपयोगों का पता लगाने हेतु आर एंड डी प्रयास करने के निर्देश दिए जाएंगे। स्वदेशी तकनीक को अनुसंधान एवं उचित समावेशन तथा प्रौद्योगिक नवप्रवर्तनों को अपनाकर उन्नत किया जाएगा। प्रक्रिया, प्रचालनों की कार्यकुशलता तथा गौण-उत्पादों की प्राप्ति में भी सुधार करने और विशिष्ट एवं खपत संबंधी मानदंडों में कमी के बारे में अनुसंधान और विकास के प्रयास किए जाएंगे। कम पूंजी एवं ऊर्जा बचत प्रक्रिया प्रणालियां तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

9.2 खनन पद्धतियों में अनुसंधान

खनन पद्धतियां एक खान से अयस्क भंडारों की सुरक्षा, किफायत, गति और निष्कर्षण प्रतिशतता निर्धारित करती है। अनुसंधान और विकास कार्यों में मुख्य जोर शैल तकनीक, भू-नियंत्रण, खान डिजाइन अभियांत्रिकी, उपस्करों के नियोजन और रख-रखाव, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रचालनों एवं मानव इंजीनियरिंग की सुरक्षा के क्षेत्रों के बारे में दिया जाएगा।

9.3 खनिज प्रसंस्करण और सज्जीकरण

निम्न श्रेणियों और सूक्ष्म आकार की सामग्री को उपयोग में लाने के लिए सज्जीकरण और एकत्रीकरण की ओर ध्यान दिया जाएगा। अयस्क और अयस्क ड्रैसिंग उत्पादों के सज्जीकरण और खनिज एवं मौलिक विश्लेषण करने के लिए प्रक्रियाओं के विकास हेतु भारतीय खान ब्यूरो की राष्ट्रीय खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं सहित अनुसंधान संगठनों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इस कार्य में लगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी संगठनों के बीच में सहयोग और समन्वय होगा। अनुसंधान और विकास का लक्ष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित एवं संवर्धन करने सहित संबद्ध खनिजों एवं मूल्यवान धातुओं की अधिकतम आर्थिक प्राप्ति सुनिश्चित करना होगा।

9.4 ऑटोमेटिड उपस्करों का विकास

सुरक्षित और मितव्ययी उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, रोबोटिक के विकास, खनन के लिए विशेषकर गहरे खनन के लिए ऑटोमेटिड उपस्कर और सतह तक परिवहन की ओर ध्यान दिया जाएगा। यद्यपि स्वदेशी विकास करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, तथापि, सरकार ऐसे ऑटोमेटिड उपस्करों,

मशीनरी एवं खनन रोबोटों आदि का आयात सुगम बनाने के लिए उचित वित्तीय उपाय के बारे में विचार भी करेगी जो देश में उपलब्ध नहीं है, जिनका डाउनस्ट्रीम उद्योग में गवेषण, खनिज विकास एवं मूल्य संवर्धन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

9.5 गहरे समुद्र में खनन

गहरे समुद्री संसाधन, विशेष रूप से बड़े और संभवत: महत्वपूर्ण खनिज संसाधन कहे जाते हैं। इन संसाधनों का पूर्वेक्षण, गवेषण, निष्कषर्ण, खनन और प्रसंस्करण की एकीकृत प्रणालियों को आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास/अधिग्रहण के साथ शीघ्र किया जाएगा। गहरे समुद्रतल क्षेत्र के सर्वेक्षण और गवेषण के समन्वय एवं वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ की जाएगी।

9.6 अधिक शुद्धतावाली सामग्रियों का उत्पादन

उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, जैसे सेमी कंडक्टरों, फोटो-वोल्टाइक लेजर, स्पेशल सेंसरों, उच्च तापमान न्यू सिरेमिक, हार्ड और उच्च तापमान सामग्रियों, सुपरकंडक्टरों, इन्सुलेटरों, बहुत थिन फिल्मों, ग्लास और तरल क्रिस्टल और धातु एवं खनिज फाइबरों में उपयोग हेतु अधिक शुद्धता की सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल के लिए अनुसंधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

9.7 अनुसंधान संगठनों का समन्वय

खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों की आर एंड डी यूनिटों में किए जाते हैं । विभिन्न आर एंड डी संगठनों में उपलब्ध संसाधनों, प्रयासों और विशेषज्ञता की पूलिंग खनिज क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने एवं आगे के कार्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। खनिज क्षेत्र में आर एंड डी में लगी विभिन्न संस्थाओं में समन्वय, सहक्रिया एवं अभिसरण को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ बनाया जाएगा। परिचर्चा की गति को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों के बीच में वैज्ञानिकों की अदला-बदली को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को प्रयोक्ताओं के लिए शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाए। इस कार्य में लगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी संगठनों के बीच में सहयोग और समन्वय होगा।

10. इंटर-जेनरेशनल इक्विटी

यह समझना जरूरी है कि खनिजों सहित प्राकृतिक संसाधन मिली जुली विरासत होते हैं, जहां पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि विरासत का लाभ भावी पीढ़ी को मिले राज्य, लोगों की ओर से न्यासी (ट्रस्टी) होता है, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि निकाले गए खनिजों की पूरी कीमत राज्य सरकार को प्राप्त की जाती है। तथापि, प्रत्येक खनिज के संबंध में इंटर जेनरेशनल इक्विटी का आकलन करने के लिए रिजर्व (भंडारों)/संसाधनों तथा री-साइकिलिंग के जरिए पुन: उपयोग करने की संभावना जैसे उन पहलुओं पर विचार करते हुए एक अलग दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक और उपयुक्त हों।

11. सतत विकास के लिए अंतर-मंत्रालयी तंत्र

खनन क्षेत्रों में पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के बारे में पर्याप्त चिंतन सहित सतत खनन सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य-तंत्र को संस्थागत करने तथा रॉयल्टी, अनिवार्य किराया आदि की दरों पर सरकार को सलाह देने के लिए, राज्य सरकारों सहित कोयला मंत्रालय, एमओईएस, एमओईएफसीसी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय जैसे सदस्यों के साथ खान मंत्रालय के अधीन एक अंतरमंत्रालयीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

यह प्रस्तावित कार्य-तंत्र खनन कार्यकलापों की मात्रा के बारे में सीमाओं का निर्णय भी करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की कैरीइंग क्षमता, और क्षेत्र पर सूक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में विचार करते हुए तथा निरंतर विकास एवं इंटर जेनरेशनल इक्विटी के सिद्वातों और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सभी खनिजों के वार्षिक उत्खनन की राज्यवार/क्षेत्रवार अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, इस बारे में मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत अध्ययन करना शामिल होगा।

12. निष्कर्ष एवं उपसंहार

"मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत, भारत सरकार का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से को बढ़ाना है। इस राष्ट्रीय पहल में खनिज/अयस्क की आपूर्ति पर निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए सतत आधार पर खनिज क्षेत्र का समग्र विकास करने की अपेक्षा की गई है।

इन नीतिगत प्रस्ताव से अगले सात वर्षों में एमसीडीआर (खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017) खनिजों के उत्पादन में 200% बढ़ोतरी तथा दूसरी ओर अगले सात वर्षों में खनिज सैक्टर में व्यापार घाटे में 50% की कमी होने की अपेक्षा है।

इस राष्ट्रीय खनिज नीति की सफलता भारत को उच्चतर विकास की ट्रेजेक्टरी तक पहुचने में महत्वपूर्ण होगी। इस नीति के सफल कार्यान्वयन की सुनिश्चिता, विभिन्न प्रमुख स्टेकहोल्डरों में राष्ट्रीय सहमति

तथा इसमें निहित सिद्धांतों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उनकी वचनबद्धताएं प्राप्त करके की जाएगी।

*****